



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2018 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 13/2018

एतद् द्वारा सभी राजकीय/अनुदानित/प्रस्वीकृत/अनुशंसित संस्कृत उच्च विद्यालयों के छात्र/छात्राओं, प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, 2018 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए **सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं मुद्रित पंजीयन रसीद** परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से **दिनांक 19.02.2018 से** वितरित किये जायेंगे। जिसे विद्यालय प्रधान स्वयं या प्राधिकृत दूत भेजकर प्राप्त कर लेंगे तथा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करेंगे।

- 1) **भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र परिषद् में जमा करने की तिथि:-**
विलम्ब शुल्क रहित- दिनांक 06.03.2018 से 08.03.2018 तक।
विलम्ब शुल्क सहित- दिनांक 21.03.2018 से 23.03.2018 तक।
- 2) **परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा :-**
 - 1) परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क : ₹60/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 2) परीक्षा शुल्क : ₹125/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 3) अंक पत्र शुल्क : ₹75/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 4) लोकल लेवी : ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 5) औपचारिक प्रमाण पत्र-सह-प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क : ₹75/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 6) विलम्ब शुल्क (एक मुद्रत) : ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा।
 - 7) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क : ₹15/- प्रति छात्र/छात्रा।
(गृह विज्ञान, संगीत)
 - 8) विविध शुल्क : ₹25/- प्रति छात्र/छात्रा।

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **JAC FUND** के नाम से देय एवं **राँची, दुमका तथा डाल्टेनगंज** में भुगतये होगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। डाक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3) विद्यालय प्रधानों को यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीयन रसीद में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाये, तो त्रुटि का निराकरण कर उसकी विवरणी दो प्रतियों में तैयार कर पंजीयन रसीद के साथ **दिनांक 23.03.2018** तक परिषद् कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर संशोधित करा लेंगे।

नोट :- परीक्षा की तिथि एवं कार्यक्रम बाद में प्रकाशित की जायेगी।

JAC/मध्यमा/547/18/SECY/71/18
Dt. 17.02.2018
D.O.P. 18.02.2018

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

